



Neutral Citation No. - 2026:AHC:18130

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या - सी - 886 वर्ष 2026

शिव प्रसाद और 2 अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: राम कृष्ण दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38/32 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा उप-मंडल मजिस्ट्रेट, भदोही के समक्ष दिनांक 29.04.2021 को एक आवेदन दाखिला दिया गया था और उक्त आवेदन पर राजस्व अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट मंगाई गई थी, जो विधिवत दी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील भदोही, जिला भदोही इस मामले में शीघ्र निर्णय लेंगे।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोषों में प्रवेश किए बिना, इस याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील भदोही,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जिला भदोही के समक्ष आज से दस दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता ऐसा करते हैं, तो प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से और अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेंगे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

27 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"